स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 48

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		राजस्व	399.90	184.07	583.97	500.00	160.00	660.00	530.00	160.00	690.00	600.00	171.00	771.00
		पूंजी	**...**	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		जोड़	**399.90**	**184.07**	**583.97**	**500.00**	**160.00**	**660.00**	**530.00**	**160.00**	**690.00**	**600.00**	**171.00**	**771.00**
1.	सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251	...	0.07	0.07	4.00	0.15	4.15	3.00	0.15	3.15	2.00	0.15	2.15
2.	निदेशन और प्रशासन	2210	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.	मूल, अनुप्रयुक्त और उपचारिक अनुसंधान का संवर्धन,समन्वय और विकास	2210	...	...	...	49.00	...	49.00	46.00	...	46.00	40.00	...	40.00
4.	अनुसंधान गवर्नेंस मुद्दों संबंधी संवर्धन और मार्गदर्शन	2210	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	0.50	...	0.50
5.	चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर क्षेत्रीय समन्वयन	2210	0.10	...	0.10	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	15.00	...	15.00
6.	चिकित्सा और स्वास्थ्य में अनुसंधान संबंधी उन्नत प्रशिक्षण	2210	0.05	...	0.05	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	15.00	...	15.00
7.	चिकित्सा और स्वास्थ्य में अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन	2210	0.25	...	0.25	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00	6.00	...	6.00
8.	महामारी, प्राकृतिक आपदा से संबंधित विषय और इनके फैलाव को रोकने के लिए साधनों का विकास	2210	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	20.00	...	20.00
9.	औषधि और स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक समितियां और संघों, धर्मार्थ और धार्मिक विन्यास संबंधी विषय	2210	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
10.	सरकारी संगठनों और संस्थानों के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समन्वयन	2210	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	0.50	...	0.50
11.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2210	399.50	184.00	583.50	360.00	159.85	519.85	390.00	159.85	549.85	440.00	170.85	610.85
12.	पूर्वात्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	50.00	...	50.00	53.00	...	53.00	60.00	...	60.00
कुल जोड़			***399.90***	***184.07***	***583.97***	***500.00***	***160.00***	***660.00***	***530.00***	***160.00***	***690.00***	***600.00***	***171.00***	***771.00***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	399.90	...	399.90	446.00	...	446.00	474.00	...	474.00	538.00	...	538.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	50.00	...	50.00	53.00	...	53.00	60.00	...	60.00
जोड़		**399.90**	**...**	**399.90**	**500.00**	**...**	**500.00**	**530.00**	**...**	**530.00**	**600.00**	**...**	**600.00**

1. **सचिवालय सामाजिक सेवाएं:** यह स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिवालय के लिए खर्चों का प्रावधान करता है।

2. **निर्देशन एवं प्रशासन:** यह मुख्यालय में स्वास्थ्य अनुसंधान के मामले में तकनीकी विशेषज्ञता के लिए प्रावधान करता है तथा स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी विभिन्न गतिविधियों की मानीटरिंग के लिए जिम्मेवार है।

3. **प्रायोगिक तथा नैदानिक अनुसंधान का उन्नयन, समन्वय एवं विकास:** यह चिकित्सा, स्वास्थ्य, जैव चिकित्सा एवं चिकित्सा व्यवसाय से सम्बन्धित क्षेत्रों में नैदानिक परीक्षणों एवं प्रचालन अनुसंधान सहित मूलभूत/प्रायोगिक तथा नैदानिक अनुसंधान के उन्नयन एवं समन्वय के लिए प्रावधान करता है।

4. **अनुसंधान संचालन मुद्दो पर प्रोत्साहन एवं दिशानिर्देशन:** यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय अनुसंधान नीति तथा कार्यान्वयन/समन्वय तंत्र की स्थापना के लिए प्रावधान करता है।

5. **चिकित्सा, जैव-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतरक्षेत्रीय समन्वय:** यह योजना तकनीकी प्रबंधन, शुरूआती सहयोग, नवान्वेषण, प्रोत्साहन निधि, भारत में या/के बाहर परामर्श प्रोत्साहन कार्यक्रम, इत्यादि जैसे क्षेत्रों को कवर करती है।

6. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अनुसंधान में उच्च प्रशिक्षण:** इस योजना में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्रणाली (एनएचआरएस) के विकास के लिए कदम उठाने की परिकल्पना की गई है जिसके अंतर्गत सभी मंत्रालयों एवं क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न अनुसंधान एजेंसिया एक साथ मिलकर परस्पर अनुसंधान एवं समन्वय के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगाएँगी ताकि द्विरावृत्ति, विखण्डन, ज्ञान में निरर्थकता एवं कमी से बचा जा सके।

7. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्यों सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाती है।

8. **महामारियो, प्राकृतिक आपदाओं एवं उनके प्रकोपों की रोकथाम के उपायों का विकास:** इस योजना में संक्रामंक रोग के प्रकोप अथवा प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु सचल निधियाँ स्थापित करने की बात कही गई है।

http://indiabudget.nic.in

9. **वैज्ञानिक सोसाइटियों एवं संगइनों, औषधि एवं स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में धर्मार्थ एवं धार्मिक निधियों से संबंधित मामले:** यह योजना वैज्ञानिक सोसाइटियों एवं संगठनों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों से संबंधित है।

10. **स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सरकारों, संगठनों एवं संस्थानों के साथ समन्वय:** इस योजना में केन्द्र व राज्य सरकारों के अंतर्गत संगठनों एवं संस्थानों के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में विशेष अध्ययन के प्रोत्साहन के क्षेत्रों में समन्वय कार्य करने की बात कही गई है।

11. **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली:** यह जैव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रोत्साहन देने, समन्वय एवं प्रतिपादन का कार्य करने वाला देश का शीर्ष निकाय है। केन्द्र सरकार संचारी रोगों, गर्भनिरोधन, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, पोषण, असंचारी रोगों में अनुसंधान के लिए अनुरक्षण अनुदान प्रदान करती है। यह परिषद जनजाति स्वास्थ्य, पारम्परिक चिकित्सा के अनुसंधान एवं सूचना के प्रसार तथा प्रकाशन कार्य में भी लगी हुई है।

12. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम में परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान:** योजना आयोग के दिशानिर्देशों के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं/परियोजनाओं हेतु एकमुश्त 60.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।